न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 22/24 GCMS NO 2024/39

करण सिह पुत्र भौरया जाति दरोगा निवासी बरनाला तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी हाल जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

मुरारी लाल पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी बरनाला तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी हाल जिला सवाई माधोपुर

लैण्ड होल्डर तहसीलदार बरनाला जिला गंगापुर सिटी हाल जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 64/22 दिनांक 01.04.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषीराम मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव

निर्णय

दिनांक 04.04.2025

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध दिनांक 01.04.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 /प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल ख0न0 1153/2153 ग्राम बरनाला मे स्थित है जो प्रार्थी के हिस्से मे बहामी विभाजन से आई है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी के पश्चिम दिशा मे होकर बरनाला से बटोदा मुख्य रास्ता आराजी हाल ख0न0 1186 व 1182/2267 जो कि आसपास के खेतो मे जाने के लिए मुख्य रास्ता है यह है कि मुख्य रास्ता आराजी हाल ख0न0 1186 व 1182/2267 से प्रार्थी अपने खेत ख0न0 1153/1183 गैर मुमकिन पाल व आराजी हाल ख0न0 2417/1178 मे होकर करीब 30 फीट चौडे रास्ते मे होकर हमेशा से आता जाता रहा है उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है व चालू है। उक्त रास्ता प्रार्थी को अपने खेतो पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता है इसके अतिरिक्त प्रार्थी को अपने खेतो पर आने जाने हेतु कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ते से होकर प्रार्थी अपने कृषि यंत्रो को लेकर आता जाता रहा है। किन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही होने से अप्रार्थी संख्या 2 छोटी मोटी बातो पर विवाद करता रहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड दर्ज कराने की कहा तो उसने रास्ता दर्ज कराने से इंकार कर दिया। इस प्रकार उक्त रास्ते की राजस्व रिकार्ड मे तरमीम कराई जावे। रास्ते के काम आने वाली भूमि का प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा की जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने दौरोने बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी मे बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पर दबाब डालकर मौका रिपोर्ट बनवाई है जिसमे तहसीलदार ने बताया है कि उक्त ... तक पहुँचने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 2417/1178 मे होकर संभव है। मुताबिक हाल जमाबंदी ख0न0 2417/1178 रकबा 3.63 है0 कर्ण सिह पुत्र भोरया जाति ... के नाम दर्ज है। उक्त ख0न0 के एक कोने मे फार्म पौण्ड बना हुआ है। फार्म पौण्ड को छोडकर मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित सुगम एवं निकटतम रास्ता दिया जा सकता है। जिसका क्षेत्रफल 150 मीटर लम्बा तथा 4 मीटर चौडा अर्थात 600 वर्गमीटर है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा झूठी रिपोर्ट दी है। जिसके आधार पर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की प्रार्थना पत्र 251 ए मे प्रार्थी द्वारा आराजी हाल ख0न0 2419/1183 गैर मुमकिन पाल व आराजी हाल ख0न0 2417/1178 ग्राम बरनाला मे स्थित है मे से 30 फीट चौडा रास्ते की मांग की गई थी जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से बाहर जाकर अनुतोष दिया है। जो सही नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि खसरा न0 1153/2153 प्रार्थी के हिस्से मे मुताबिक बहामी बंटवारा आया है इस संबंध मे कोई दस्तावेज बटवारा नामा आदि प्रार्थी द्वारा पेश नही किये गये है। ऐसी स्थिति मे पक्षकारो के कुसंयोजन के कारण प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज किये जाने योग्य था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवके का उपयोग किये ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट की भूमि खसरा न0 2419/1183 एवं 2417/1178 मे होकर कभी भी प्रार्थी का कोई रास्ता नही रहा है और ना ही वर्तमान मे है। प्रार्थी द्वारा जो नजरी नक्शा पेश किया है वह विलकुल गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे मे जिस स्थान पर होकर 30 फीट चौडा रास्ता होना कथित किया है उस स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी है। भूमि मे अपनी खातेदारी की सिचाई हेतु एक कुण्डे का निर्माण कराया हुआ है जो काफी पुराना है तथा उसके पास से प्रार्थी द्वारा अपने कृषि यंत्र आदि रखने हेतु टीनशेड का निर्माण किया हुआ है। जो भी काफी पुराना है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह कथन संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित 30 फीट चौडे रास्ते मे होकर हमेशा से आता जाता रहा है व उक्त रास्ता चालू है स्वतः ही ... होता है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का ... कर गलत तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि प्रार्थी के पास उससे लगती हुई प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1153/2153 स्थित है जिसके लिए प्रार्थी रास्ता रहा है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थी के पास कृषि भूमि ख0न0 1152 से होते हुए ख0न0 1152/2316 से प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1153/2153 तक जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के पास बैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के उपरान्त भी तथ्यो को छिपाते हुए प्रार्थी/अपीलांट को नुकसान पहुॅचाने की गरज से गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि धारा 251 ए के अनुसार किसी खातेदार के पास अपनी भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता न होने की सूरत मे उसे निकटतम भूमि से ही रास्ता दिया जाता है ना कि उसकी मन इच्छानुसार रास्ता दिया जाता है। जिससे मुख्य शर्त यह होती है कि खातेदार के पास कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नही हो। प्रार्थी उक्त दोनो ही शर्तो को पूरी नही कर रहा है। प्रार्थी के पास बैकल्पिक रास्ता ही मौजूद है और अपीलांट की भूमि मे से रास्ता मांगा जा रहा है। वह निकटतम भूमि मे स्थित नही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही कर गलत तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नही किया है कि बैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर धारा 251 ए का अनुतोष दिया जाना कानून की मंशा नही है। जैसा कि आर आर टी 2017 पार्ट। पेज 423 व आर आर टी 2016 पेज 649 मे पारित निर्णय से स्पष्ट है कि बैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर धारा 251 ए मे रास्ता चाहने हेतु प्रार्थी दावा नही कर सकता है, का स्पष्ट उल्लेख है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। धारा 251 ए मे प्रावधित है कि यदि किसी खातेदार के पास कोई रास्ता नही है तो उसे निकटतम भूमि से रास्ता दिया जा सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही रास्ता बना होना कथित किया है। जब प्रार्थी ऐसा कोई रास्ता होना मानता है तो ऐसी स्थिति मे उक्त रास्ते के संबंध मे प्रार्थी को रास्ते के संबंध मे तहसीलदार या सिविल न्यायालय से सुखाचार प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा ऐसा नही किया गया। इस प्रकार धारा 251 ए मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अनुतोष दिया गया है वह विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपीलांट की खातेदारी एवं रिहायशी भूमि ख0न0 2417/1178 को नुकसान पहुॅचाने की गजर से प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.4.24 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी /रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि आराजी हाल ख0न0 1153/2153 ग्राम बरनाला मे स्थित है जो रेस्पो/प्रार्थी के हिस्से मे बहामी विभाजन से आई है। रेस्पो/प्रार्थी की उक्त खातेदारी के पश्चिम दिशा मे होकर बरनाला से बटोदा मुख्य रास्ता आराजी हाल ख0न0 1186 व 1182/2267 जो कि आसपास के खेतो मे ... लिए मुख्य रास्ता है यह है कि मुख्य रास्ता आराजी हाल ख0न0 1186 व 1182/2267 ... प्रार्थी अपने खेत ख0न0 1153/1183 गैर मुमकिन पाल व आराजी हाल ख0न0 2417/1178 ... होकर करीब 30 फीट चौडे रास्ते मे होकर हमेशा से आता जाता रहा है उक्त रास्ता मौके ... बना हुआ है व चालू है। उक्त रास्ता रेस्पो/प्रार्थी को अपने खेतो पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता है इसके अतिरिक्त रेस्पो/प्रार्थी को अपने खेतो पर आने जाने हेतु कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ते से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो/प्रार्थी अपने कृषि यंत्रो को लेकर आता जाता रहा है। किन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही होने से अपीलांट छोटी मोटी बातो पर विवाद करता था जिसके कारण रेस्पो/प्रार्थी द्वारा अपीलांट को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने की कहने पर उसके द्वारा मनाही कर देने पर रेस्पो/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 251 ए पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे भी विवादित भूमि तक पहुँचने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 2417/1178 मे होकर ही माना है। जो कि अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलांट का कथन उक्त ख0न0 2417/1178 मे फार्म पोण्ड बना हुआ है जिसमे से रास्ता दिया गया है। अपीलांट का यह कथन गलत है क्योकि तहसीलदार की रिपोर्ट मे फार्म पोण्ड होना अंकित है परन्तु प्रस्तावित रास्ते के बीच मे अंकित नही है। मौका रिपोर्ट मे निकटतम रास्ता भूमि ख0न0 2417/1178 के बाद खातेदारी गैर मुमकिन पाल एवं गैरमुमकिन सडक ख0न0 1182/2267 तक रास्ता आवागमन हेतु दिये जाने की अभिशंषा की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बरनाला से पुनः बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही आराजी ख0न0 1153/2153 पर आने जाने हेतु निकटतम एवं न्यूनतम रास्ता आराजी ख0न0 2417/1178 मे से 150 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा करीब 600 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा राशि राजकोष मे जमा कराने की शर्त पर ही रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के अर्न्तनिहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 1153/2153 पर आने जाने हेतु आराजी ख0न0 2419/1183 गैर मुमकिन पाल व ख0न0 2417/1178 जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है मे से 30 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई थी। प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1153/2153 पर आने जाने हेतु पूर्व मे भी एक प्रार्थना पत्र संख्या 30/22 उनवानी मुरारी बनाम लैण्ड होल्डर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर आराजी ख0न0 1184 गैर मुमकिन पाल से रास्ता प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। जिसे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा स्वयं नें दिनांक 29.9.22 को उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रा किया गया है। तत्पश्चात रेस्पो/प्रार्थी द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए [illegible] ख0न0 2419/1183 गैर मुमकिन पाल व ख0न0 2417/1178 अपीलांट की खातेदारी से रास्ते की मांग की गई है। इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] नही करना स्पष्ट जाहिर है। इसी प्रकार प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा आराजी ख0न0 2419/1183 व 2417/1178 मे से रास्ता प्रदान करने की प्रार्थना किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र आराजी ख0न0 2419/1183 मे से रास्ता प्रदान किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2074-77 के आराजी ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

2843/1152 जो कि रेस्पो/प्रार्थी के पुत्र अमित कुमार पुत्र मुरारी लाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उसमे से भी रास्ता प्रदान किया जा सकता है। जो कि रेस्पो/प्रार्थी के पुत्र की खातेदारी की आराजीयात है जिसमे से भी रास्ता नजरी नक्शे के अवलोकन से लघुतम रास्ता प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः रेस्पो/प्रार्थी के पुत्र अमित कुमार की आराजीयात ख0न0 2843/1152 एवं अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 2419/1183 के संबंध मे मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी मे तैयार करवाई जाकर जिस आराजीयात मे से लघुतम रास्ता दर्शित हो उसमे से रास्ता प्रदान किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 64/22 दिनांक 01.04.24 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे आराजीयात ख0न0 2843/1152 जो कि रेस्पो/प्रार्थी के पुत्र अमित कुमार की खातेदारी मे दर्ज है, एवं खसरा न0 2417/1178 जो अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है उनके संबंध मे मौके की वस्तुस्थिति की मौके की रिपोर्ट खातेदारान की मौजूदगी मे तैयार कराई जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते हेतु लघुतम दूरी का निर्धारण करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के यहाँ दिनांक 19.5.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 4.4.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested